FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – **जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

श्री सुखराम पुत्र स्व. रतना व अन्य बनाम श्री शंकरलाल पुत्र स्व. मोतीलाल व अन्य

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधि 1956 **प्रकरण संख्या** 33/2023

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.01.2024	पत्रावली पेश हुई। राजकीय पैरोकार उप0। अपीलाण्ट एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित। राजकीय पैरोकार ने पत्रावली पर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुति दिनांक 08.10.2018 के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 22.01.2019, 02.04.2019, 25.06.2019, 30.07.2019, 04.09.2019, 09.10.2019, 10.12.2019, 14.01.2020, 11.08.2020, 20.10.2020, 05.01.2021, 27.04.2021, 20.07.2021, 31.08.2021, 05.10.2021, 23.11.2021, 01.02.2022, 22.03.2022, 10.05.2022, 14.06.2022, 19.07.2022, 23.08.2022, 27.09.2022 की पालना में रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के नोटिस तलबाना पेश नहीं किये हैं। तत्पश्चात् दिनांक 02.12.2022, 02.06.2023, 15.09.2023, 13.10.2023, 15.12.2023 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी आदेश की पालना नहीं की गई ना ही नियमित रूप से जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय प्रभावी आदेशिका 15.12.2023 के बावजूद लगभग 20 से अधिक अवसर प्राप्त किये जाने एवं 04 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई। जिससे अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाये जाने में ना तो किसी प्रकार की रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है ना ही अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकरण बाबत् उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभयपक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता हैं। अतः अपीलाण्ट की अपील न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. भारती दीक्षित जिला कलक्टर, अजमेर	